भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 1835
उत्तर देने की तारीख़ः 02.03.2020

रायगढ़ में विद्यालय और छात्रावास

1835. श्रीमती गोमती सायः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रायगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में चलाए जा रहे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और आश्रमों/छात्रावासों की संख्या कितनी है;

(ख) बालिका छात्रावास में सुरक्षा हेतु की गई व्यवस्थाएं क्या हैं और क्या संबंधित प्राधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं; और

(ग) प्राचार्यों और अध्यापकों की स्वीकृत संख्या कितनी है और इन संस्थाओं में रिक्त पदों की संख्या कितनी है और इन रिक्तियों को कब तक भरा जाएगा?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वर्ष 2017-18 के यू-डाइज आंकड़ों के अनुसार, 2100 प्राथमिक विद्यालय, 173 उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 8), **73** उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 12) 918 उच्च प्राथमिक केवल ग्रेड 6 से 8 के साथ **7** उच्चतर माध्यमिक ग्रेड 6 से 12 और 36 माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक ग्रेड 1 से 10 के साथ हैं। 27 आश्रम प्राथमिक विद्यालय, **7** आश्रम उच्च प्राथमिक विद्यालय, 2 आश्रम माध्यमिक और 2 आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। इसके अलावा, 3 आश्रम माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक (ग्रेड 6 से 10), 111 आश्रम माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक (ग्रेड 9 और 10) और 159 आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (ग्रेड 9 से 12) हैं।

(ख): अधिकांश राज्यों ने बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश/निर्देश विकसित किए हैं ताकि वे भयमुक्त वातावरण में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें और पूरा कर सकें। एमएचआरडी ने पत्र संख्या 10-11/2014-ईई.4 दिनांक 9 अक्टूबर, 2014 को बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा पर दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया है और ये

दिशानिर्देश मानव संसाधन विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://mhrd.gov.in/hi/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/Guidelines_oct.pdf

(ग): जैसाकि महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, रायगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और रिक्तियों की स्वीकृत संख्या निम्नानुसार है:-

	स्वीकृत		**कार्यरत**		**रिक्त**	
	प्रधानाचार्य	**शिक्षक**	**प्रधानाचार्य**	**शिक्षक**	**प्रधानाचार्य**	**शिक्षक**
जिला परिषद् स्कूल	140	4547	104	4197	36	350
निजी सहायता प्राप्त स्कूल	18	224	18	196	0	18

जैसा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचित किया गया है, शिक्षकों की रिक्तियों को केंद्रीय प्रक्रिया के तहत 'पवित्रा पोर्टल' द्वारा भरा जाता है और शिक्षकों को पदोन्नत कर प्रधानाचार्यों के रिक्त पद भरे जाते हैं। शिक्षकों की भर्ती सहित सभी प्रशासनिक मामले राज्य सरकार के विषय हैं और केंद्र सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

*****